न्यायालयः–उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,रायपुर (ब्यावर)

पीठासीन अधिकारी :–श्री पूरण कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 106/2023

प्रकरण दर्ज तिथि :– 14.09.2023

जीसीएमएस नम्बर :– 2023/346

वादी

लालसिंह पुत्र पन्नासिंह जाति रावत निवासी भूण्डाप कलालिया तहसील रायपुर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. तहसीलदार रायपुर तहसील कार्यालय, रायपुर

दावा बाबत् घोषणा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित 1 श्री सुरेश कुमार एवं श्री भवानी सिंह अधिवक्ता वादीगण

2 सरकारी पैराकार उपस्थित

निर्णय

दिनांकः 02.09.2024

वादीगण की ओर से वकील श्री सुरेश कुमार एवं श्री भवानी सिंह द्वारा दावा बाबत् घोषणा वादपत्र धारा 88 राज. काश्त. अधि. के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय में पेश किया गया है। वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है कि सरहद मौजा कलालियां पटवार हल्का कलालिया भू अभिलेख निरीक्षक कानूजा के खाता संख्या 151 के खसरा नम्बर 3440/3 तथा खाता संख्या 341 के खसरा नम्बर 1398, 2286, 3093, 3107, 3116, 3119, 3121, 3128, 3170, 3171, 3175, 3176, 3629, 3630, 3631, 3632, 3633, 3635, 3637/5037, 3643, 3644, 3645, 3656, 3657, 3658, 3659, 3660, 3661, 3662, 3676, 3677 में वादी की खातेदारी कब्जा काश्त भूमि स्थित हैं। जिसकी वर्तमान जमाबंदी की प्रतिलिपि वादपत्र के साथ संलग्न हैं। जिसको वादपत्र का आवश्यक भाग माना जावें। उक्त आराजी पर वादी व अन्य सहखातेदारान का कब्जा काश्त हैं। उक्त आराजीयाता में वादी का नामान्तरकरण दर्ज करवाते समय भूलवश लालसिंह के स्थान पर गोपालसिंह पुत्र पन्नासिंह दर्ज करवा दिया गया जबकि वादी का वास्तविक नाम लालसिंह पुत्र पन्नासिंह हैं तथा उसे घर पर प्यार से लालसिंह तथा गोपालसिंह दोनो नामों से पुकारा जाता था।वादी के समस्त राजकीय व गैर राजकीय दस्तावेजों में वादी का नाम लालसिंह ही दर्ज चला आ रहा हैं। वादी लालसिंह का निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैक पास बुक की फोटो प्रति वादपत्र के साथ पेश हैं। वादी का नाम उक्त आराजीयात में सही व राजकीय दस्तावेजों के अनुरूप दर्ज नहीं होने के कारण वादी को अपने हिस्से की कृषि भुमि के उपयोग व उपभोग में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हैं तथा सरकार द्वारा समय पर दिये जाने वाले कृषि अनुदान व अन्य सहायता से भी वादी वंचित रह जाता हैं, तथा बैंको से मिलने वाले ऋण से भी वादी को वंचित रहना पड रहा हैं। वादी द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Puran kumar
Date: 2024.09.25 12:00:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

ईमित्र से नकल प्राप्त करने पर जानकारी में आया कि वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में लालसिंह के स्थान पर गोपालसिंह दर्ज हैं, तब वादी की जानकारी में आया अतः भूमि श्रीमान् के क्षैत्राधिकारी में होने से वाद श्रीमान के श्रृवणाधिकार का होने से श्रीमान के न्यायालय में घोषणा का वाद पेश किया हैं।

वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। तहसीलदार रायपुर के पत्रांक/115 दिनांक 12.01.2024 द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जो संलग्न पत्रावली हों जिसमें प्रार्थी लालसिंह पुत्र पन्नासिंह की कृषि भूमि ग्राम कलालिया के खाता संख्या 151, 341 में जमीन आई हुई हैं, नामान्तकरण दर्ज करवाते समय भूलवश लालसिंह के स्थान गोपालसिंह पुत्र पन्नासिंह दर्ज करवा दिया गया तथा गांव में प्रार्थी को लालसिंह तथा गोपालसिंह दोनो नामों से पुकारा जाता हैं। प्रार्थी गोपालसिंह का कलालिया के राजस्व रिकार्ड के नामान्तकरण संख्या 1657, 1637 में गोपालसिंह पुत्र पन्नासिंह हैं तथा अन्य दस्तावेज पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशनकार्ड, बैंक पास बुक में लालसिंह पुत्र पन्नासिंह हैं। उपस्थित मौतबिरानों व जमाबंदी के सहाखातेदारों ने बताया कि गोपालसिंह तथा लालसिंह दोनो नाम का एक ही आदमी हैं। अतः मौका रिपोर्ट अनुसार गोपालसिंह पुत्र पन्नासिंह के स्थान पर लालसिंह पुत्र पन्नासिंह करने की अनुशंषा की हैं।

वादी अधिवक्ता ने वादी के पक्ष में वादपत्र के घोषणा के संबध में शपथ पत्र मोहनसिंह पुत्र रामसिंह, प्रेमकंवर पत्नि पन्नासिंह, तिलोक सिंह पुत्र संग्रामसिंह, जातिगण निवासीगण कलालिया ने प्रस्तुत किया हैं जो संलग्न पत्रावली हों। वादी की ओर से मुख्य साक्ष्य हेतु वादी का शपथ पत्र पेश किया हैं जो संलग्न पत्रावली किया गया।

बहस समायत की गई। वादी अधिवक्ता ने दौराने बहस बताया कि वादी लालसिंह तथा गोपालसिंह, दोनो एक ही व्यक्ति के नाम हैं। वादी के सभी दस्तावेज में लालसिंह नाम अंकित हैं। राजस्व रिकार्ड में वादी का सही नाम लालसिंह पुत्र पन्नासिंह दर्ज करने के आदेश दिये जाने हेतु निवेदन किया हैं।

बहस, तहसीलदार मौका रिपोर्ट एवं प्रस्तुत शपथ के आधार पर राजस्व रेकर्ड के सरहद मौजा कलालियां पटवार हल्का कलालिया भू अभिलेख निरीक्षक कानूजा के खाता संख्या 151 के खसरा नम्बर 3440/3 तथा खाता संख्या 341 के खसरा नम्बर 1398, 2286, 3093, 3107, 3116, 3119, 3121, 3128, 3170, 3171, 3175, 3176, 3629, 3630, 3631, 3632, 3633, 3635, 3637/5037, 3643, 3644, 3645, 3656, 3657, 3658, 3659, 3660, 3661, 3662, 3676, 3677 दर्ज गोपालसिंह पुत्र पन्नासिंह के स्थान पर लालसिंह पुत्र पन्नासिंह नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिया जाना न्यायोचित समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Puran kumar
Date: 2024.09.25 12:00:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

आदेश

अतः वादीगण का वाद बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा कलालियां पटवार हल्का कलालिया भू अभिलेख निरीक्षक कानूजा के खाता संख्या 151 के खसरा नम्बर 3440/3 तथा खाता संख्या 341 के खसरा नम्बर 1398, 2286, 3093, 3107, 3116, 3119, 3121, 3128, 3170, 3171, 3175, 3176, 3629, 3630, 3631, 3632, 3633, 3635, 3637/5037, 3643, 3644, 3645, 3656, 3657, 3658, 3659, 3660, 3661, 3662, 3676, 3677 दर्ज गोपालसिंह पुत्र पन्नासिंह के स्थान पर लालसिंह पुत्र पन्नासिंह नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदानुसार डिक्री पर्चा बनाया जाकर पालना हेतु तहसीलदार रायपुर को प्रेषित किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

(पूरण कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

यह निर्णय आज दिनांक 02.09.2024 को सरे इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Puran kumar
Date: 2024.09.25 12:00:33 IST
Reason: SelfAttested

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "d" –1)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, रायपुर

बईजलास :– श्री पूरण कुमार आर.ए.एस.

वादी

लालसिंह पुत्र पन्नासिंह जाति रावत निवासी भूण्डाप कलालिया तहसील रायपुर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. तहसीलदार रायपुर तहसील कार्यालय, रायपुर

दावा बाबत् घोषणा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्त. अधि.

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतईरूबरू हमारे व हाजरी श्री सुरेश कुमार अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुदईव सरकारी पैरोकार प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः वादीगण का वाद बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा कलालियां पटवार हल्का कलालिया भू अभिलेख निरीक्षक कानूजा के खाता संख्या 151 के खसरा नम्बर 3440/3 तथा खाता संख्या 341 के खसरा नम्बर 1398, 2286, 3093, 3107, 3116, 3119, 3121, 3128, 3170, 3171, 3175, 3176, 3629, 3630, 3631, 3632, 3633, 3635, 3637/5037, 3643, 3644, 3645, 3656, 3657, 3658, 3659, 3660, 3661, 3662, 3676, 3677 दर्ज गोपालसिंह पुत्र पन्नासिंह के स्थान पर लालसिंह पुत्र पन्नासिंह नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

नीज......................×.................मुबलिक...............×..............बाबत्............×............. खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....×................फीस सदी सालाना आज तारीख वसूल याबी तक ....×.........................को अदा करे।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 02.09.2024 को जारी किया गया।

(पूरण कुमार)

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

मुद्दई		रूपया	पै.	मुद्दयलह		रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीनामा	–	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	–	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	–	02	00	स्टाम्प हाजरी	–	00	00
स्टाम्प वजह सबूत	–	00	00	मेहनताना वकील पर	–		
मेहनताना वकील	–			खर्चा गवाहान	–		
खर्चा गवाहान	–			फीस कमिश्नर	–		
फीस कमिश्नर	–			बाबत इजराय हुक्मनामा	–		
बाबत इजराय हुक्मनामा	–			[illegible]			
मुतफरिक	–	02	00	मीजान		00	00
मीजान			00			[illegible]	[illegible]

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह ही फरीकेन [illegible] डिक्री के जरिए दिलाया गया हो नही दर्ज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Puran kumar
Date: 2024.09.25 12:00:33 IST
Reason: SelfAttested